PMAY-G
mason training

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(61)ग्राविवि / ग्रुप–5 / मैशन मिस्त्री / 2015–16 जयपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 20

जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत मैसन प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन के क्रम में।

प्रसंग :– समसंख्यक पत्र दिनांक 02.07.2018, 05.10.2018 एवं बैठक कार्यवाही विवरण दि. 22.1.19 एवं ग्रा.वि. मंत्रालय का अ.शा. पत्र दिनांक 7.1.19

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र दिनांक 5.10.18 द्वारा RSETI के माध्यम से मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में ही जिले के आवास प्रभारियों, RSETI राज्य निदेशक एवं IGPRS & GVS के प्रोफेसर के साथ दिनांक 7.1.19 को आयोजित कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार विस्तृत चर्चा की गई।

उक्त सभी प्रयासों के बावजूद भी मैसन प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति शून्य है, के क्रम मे दिनांक 21.1.19 को राज्य स्तर पर पुनः समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 31 मार्च, 2019 तक राज्य को आवंटित शतप्रतिशत लक्ष्य अर्जित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय की पालना में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करावे :–

1. RPL प्रशिक्षण हेतु अप्रशिक्षित मैसन की सूची RSETI को दिनांक 31.1.19 तक उपलब्ध कराई जावे एवं अनिवार्य रूप से 11 फरवरी, 2019 से RPL प्रशिक्षण RSETI के माध्यम से प्रारम्भ किया जावे। उल्लेखनीय है कि RPL प्रशिक्षण 10 दिवस का आयोजित किया जावेगा। इसके प्रशिक्षिणार्थी वर्तमान में क्षेत्र में कार्य कर रहे ऐसे मैसन होंगे, जिन्हें अपनी कुशलता में वृद्धि की आवश्यकता है अर्थात पूर्व में ही मैसन का कार्य कर रहे व्यक्तियो का ही चयन किया जावे।
2. उक्त RPL प्रशिक्षण में प्रशिक्षित मैसन की संख्या को मैसन प्रशिक्षण के लिये जिलों को आवंटित लक्ष्यों से कम कर शेष मैसन प्रशिक्षण के लक्ष्यों में 5 का भाग देने के उपरान्त अवशेष संख्या के बराबर अप्रारम्भ आवासों को एकमुश्त राशि जारी किये जाने की सूचना (एक्सल फाईल में) विभागीय पूर्व पत्रांक दिनांक 11.1.19 के प्रारूप में दिनांक 31.1.19 तक RSETI व विभाग को प्रेषित की जावे। उल्लेखनीय है कि **RPL** प्रशिक्षण एवं मैसन प्रशिक्षण दोनो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियो का राष्ट्रीय **Skills Development System (SDMS) portal of NSDC** पर भी सूचना अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। RSETI को प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देशानुसार देय राशि की 30 प्रतिशत अग्रिम राशि का भुगतान 31.1.19 तक किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय,

21-1-19

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक एफ 27(61)ग्राविवि/ग्रुप–5/मैशन मिस्त्री/2015–16 जयपुर, दिनांक जनवरी, 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजीविका।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
5. अध्यक्ष, स्टेट लेवल बैंकर्स समिति राजस्थान, बैंक ऑफ बदौडा कार्यालय दुर्गापुरा, जयपुर
6. उप महा निदेशक (आर.एच.), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त निदेशक, IGPR & GVS जयपुर।
8. श्री कमल छाबडा, कंसलटेन्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. निदेशक, National Academy of RUDSETI, 2nd floor, Chitrapur Bhavan, 15 th Cross, 8 th main, malleshwaram, Bangalore - 560055 (info@rudsetacademy.org, pitchurapuri@gmail.com)
10. श्री एस. के. अग्रवाल, प्रोफेसर, आई.जी.पी.आर. – जीवीएस, जयपुर।
11. स्टेट डायरेक्टर, RSETI
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
13. स्टेट प्रोजेक्ट मेनेजर, राजीविका, जयपुर।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)